

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफएसएसए/2019/419

दिनांक:- 22/05/20

— ::आदेश:: —

श्री गजेन्द्र कुमार सिंघल, मूल पद लैब टेक्नीशियन, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.7(3)चिकित्सा/गुप-3/96/पार्ट जयपुर, दिनांक 15.06.2007 के द्वारा खाद्य निरीक्षक की शक्तियाँ प्रदत्त कर निदेशालय के आदेश क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन करवाया जा रहा है। श्री गजेन्द्र कुमार सिंघल के खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्यों के निर्वहन के दौरान इनके विरुद्ध दो बार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किये जाने एवं विभागीय जाँचो को दृष्टिगत रखते हुये श्री गजेन्द्र कुमार सिंघल को प्रदत्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित (विद्धो) की जाती है।

श्री गजेन्द्र कुमार सिंघल को इनके लैब टेक्नीशियन के मूल पद पर अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर के अधीन उपस्थिति देने हेतु दिनांक 22.05.2019 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त किया जाता है।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफएसएसए/2019/419

दिनांक:- 22/05/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, भा0 मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर।
5. अति० निदेशक (ग्रा०स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
6. अति० निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक सीबी/पीएमएस/एफ-2196/2019/323 दिनांक 13.02.2019 के क्रम में।
7. नोडल अधिकारी (एफएसएसए) एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा०स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जोधपुर।
9. समस्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर को प्रेषित कर लेख है कि श्री गजेन्द्र कुमार सिंघल से अविलम्ब ब्रास सील, पेपर स्लिप व अन्य सामग्री एवं पीएफए/एफएसएसए से संबंधित प्रकरणों की पत्रावलियां अपने अधीन कर तुरन्त अवगत करावे।
11. मुख्य खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर।(chief.public.analyst@gmail.com)
12. श्री गजेन्द्र कुमार सिंघल, मूल पद लैब टेक्नीशियन को प्रेषित कर लेख है कि आपको खाद्य सुरक्षा के कार्य हेतु आवंटित ब्रास सील, पेपर स्लिप व अन्य सामग्री एवं पीएफए/एफएसएसए से संबंधित प्रकरणों की पत्रावलिआ अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर को सुपुर्द कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
13. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बंधित को ईमेल कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
14. आदेश/रक्षित पत्रावली।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।